

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- २५२

प्रकरण संख्या:- ८०/२०२५

दिनांक:- २१/०१/२०२५

उनवान

श्री राधेश्याम पुत्र
गणेश स्वामी

वर्नाम सरकार जारिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज के आधार पर हल्का २१५२ नू. अ. नि. २५२५५ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंभा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के तहत भाग २१५२ प० ह० २१५२ की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या १०५, १५३ में वर्तमान १०५, १५३ का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/भाग का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है
	नाम अशुद्धि	राध्यापुत्र गणेश	राधेश्याम पुत्र गणेश

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिलिपी :-

- तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
- प्रार्थी श्री राधेश्याम पुत्र गणेश स्वामी नि. शिवाड़ा।
- रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

